



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]  
No. 306]

नई दिल्ली, सोमवार जुलाई 17, 1995/आषाढ़ 26, 1917  
NEW DELH. MONDAY, JULY 17, 1995/ASADHA 22, 1917

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1995

सा. सा. नि. सं. 550(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्-द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) विनियम, 1995 का अनुमोदन करती है जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में लिखित हैं।

2. उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी आर-12016/42/93-पी ई-1]

बी. एस. खैरवाल, संयुक्त सचिव

1714 GI/95—1

सारणी कागज-पत्र क्र. 5 का अनुबंध क्र. 2

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी सेवा की सेवानिवृत्ति शर्तें

विनियम, 1995

अध्याय : 1

प्रस्तावना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी बोर्ड एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रयुक्ति:

1. ये विनियम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी सेवा की साधारण शर्तें विनियम, 1995 (सेवानिवृत्ति) कहे जायेंगे और ये उस दिनांक से सभी कर्मचारियों को लागू होंगे, जिसे केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में तन्निमित्त अधिसूचित करे।

(1)

अध्याय : 2

परिभाषाएं :

2. इन विनियमों में, जब तक कि कोई बात सन्दर्भ या विषय में विरुद्ध न हो :—

- (1) 'अधिनियम' का तात्पर्य 'महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963' और तत्सम्बन्धी किसी सांविधिक संशोधन से है।
- (2) 'बोर्ड', 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष' और 'विभाग प्रमुख' वही तात्पर्य होगा जैसाकि अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिया गया है।
- (3) 'सक्षम प्राधिकारी' का तात्पर्य जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी वर्गीकरण नियंत्रण और अपील विनियम में यथापरिभाषित नियुक्त प्राधिकारी से है, या सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ ऐसे अन्य प्राधिकारी से है, जिसे कि बोर्ड द्वारा शक्ति प्रत्या-योजित की गई है।
- (4) 'कर्मचारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि अनुसूची में दर्ज या अनुसूची में दर्ज करने के लिए अनुमोदित नियत वेतन या कालवेतनमान पर किसी पद पर नियुक्त किया गया है।
- (5) 'अन्यत्र सेवा' का तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जिसमें कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से पत्तन के साधारण लेखा या पत्तन के पायलाटेज लेखा में अन्य किसी स्रोत से वेतन प्राप्त करता है।
- (6) 'सरकार' का तात्पर्य भारत सरकार से है।
- (7) 'छुट्टी वेतन' का वही तात्पर्य होगा जैसा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी छुट्टी विनियम में परिभाषित किया गया है।
- (8) 'धारणाधिकार' का तात्पर्य, जिस स्थायी पद पर कर्मचारी की अधिष्ठायी रूप से नियुक्ति हुई है, उस स्थायी पद को तुरन्त या अनुपस्थिति की कालावधि के पर्यावसन पर अधिष्ठायी तौर से धारण करने के कर्मचारी के अधिकार से है।

स्पष्टीकरण :—

कोई कर्मचारी बोर्ड की सेवा में केवल एक बार स्थायी पद पर स्थायी किया जाएगा। बोर्ड की सेवा में प्रवेश करने के बाद कर्मचारी द्वारा धारित स्थायी पद पर सक्षम प्राधिकारी के समाधानपर्यन्त परीक्षा पूरी करने के बाद उसे स्थायी किया जाएगा। स्थायी पद पर स्थायीकरण होने के बाद बोर्ड की सेवा में किसी अन्य स्थायी पद पर कर्मचारी की नियमित नियुक्ति किए जाने पर वह कर्मचारी उस अन्य स्थायी पद पर धारणाधिकार रखने के लिए हकदार होगा।

- (9) 'स्थानापन्न होना' जब कोई कर्मचारी किसी ऐसे पद के कर्तव्यों का पालन करता है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार है, तो वह कर्मचारी

उस पद पर स्थानापन्न होता है। सक्षम प्राधिकारी, यदि उचित समझे, तो वह किसी कर्मचारी को, ऐसे रिक्त पद पर, स्थानापन्न होने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जिस पर किसी कर्मचारी का धारणाधिकार नहीं है।

- (10) 'वेतन' का तात्पर्य किसी कर्मचारी द्वारा मासिक उठाई जाने वाली राशि से है जैसे कि—

(एक) वेतन (उसकी वैयक्तिक अर्हताओं के कारण अनुदत्त विशेष वेतन या वेतन से भिन्न) जो कि उसके द्वारा तत्पश्चात् या स्थानापन्न की हैसियत से धारण किए गए पद के लिए मंजूर किया गया है या बोर्ड की सेवा में अपने पद के कारण जिसके लिए वह हकदार है और इसमें अस्थायी पद पर रहते हुए उठाया गया वेतन सम्मिलित है।

(दो) विशेष वेतन वैयक्तिक वेतन और

(तीन) कोई अन्य उपायियां जिसे सरकार के पूर्वानु-मोदन से बोर्ड द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- (11) 'स्थायी पद' का तात्पर्य मंजूर किए गए ऐसे पद से है जिसके लिए कोई समय-संभावित निर्धारित नहीं है और अनुसूची में दर्ज या अनुसूची में दर्ज करने के लिए अनुमोदित नियत वेतन या काल-वेतनमान है।

अध्याय : 3

सेवानिवृत्ति

3. (1) इन विनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक कर्मचारी, जिस में अठ्ठावन वर्ष की आयु पूरी करता है, उस महीने के आखिरी दिन अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा।

(2) कर्मचारी को अठ्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अध्यक्ष की मंजूरी से सेवा का विस्तार अनुदत्त किया जा सकता है, यदि इस प्रकार का विस्तार बोर्ड के हित में अपरिहार्य हो और विस्तार के कारण लिखकर रिकार्ड किये गये हों :

परन्तु, बहुत ही विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इस उप-विनियम के अर्धान साठ वर्ष की आयु से आगे सेवा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि अध्यक्ष को विस्तारित सेवा काल के अवमान में पहले स्थायी कर्मचारी के मामले में कम से कम तीन महीने और अस्थायी कर्मचारी के मामले में कम से कम एक महीने की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में वेतन और भत्ता देकर सेवा का विस्तार नमान्य करने का अधिकार होगा :

परन्तु यह और कि अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी के संबंध में, भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय, इस प्रकार का कोई विस्तार का आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3) उप-विनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी को, यदि उसकी राय हो कि ऐसा करना बोर्ड के हित में है, कम से कम तीन महीने की लिखित सूचना देकर या सूचना के बदले में तीन महीने का वेतन और भत्ता देकर, ऐसे किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा :—

(एक) यदि वह वर्ग-1 या वर्ग-2 के पद पर है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी करने से पहले बोर्ड की सेवा में प्रवेश किया था, तो पचास वर्ष की आयु पूरी करने के बाद

(दो) किसी अन्य मामले में पचपन वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, या

(तीन) तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद :

परन्तु यदि बोर्ड के हित में ऐसे किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का विनिश्चय किया जाता है, जो पहले अधिष्ठायी हैसियत से वर्ग-3 के पद पर था, किन्तु अब स्थानापन्न हैसियत से वर्ग-1 या वर्ग-2 के पद पर है, तब उपर्युक्त खण्ड (दो) के उपबंध के अधीन, लिखित निवेदन करने पर उसे वर्ग-3 में अधिष्ठायी हैसियत से पहले वाले पद पर सेवा में बने रहने की अनुमति दी जायेगी।

(4) (एक) यदि समयपूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदन करने पर या अन्यथा मामले का पुनर्विलोकन करने पर सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का विनिश्चय किया गया है, तो वह प्राधिकारी सेवा में बहाल करने का आदेश देते समय, समयपूर्व सेवा निवृत्ति के दिनांक से सेवा में बहाल किए जाने के दिनांक के बीच की अवधि, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कर्तव्य काल के रूप में या ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के रूप में या असाधारण छुट्टी महित देय और अनुज्ञेय किसी प्रकार की छुट्टी प्रदान करके, विनियमित कर सकेगा :—

परन्तु उस प्राधिकारी द्वारा यदि विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश यदि न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है तो वह बीच की कालावधि, वेतन और भत्ता सहित समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्यकाल मानी जाएगी।

(दो) जहां समयपूर्व सेवानिवृत्ति के दिनांक और सेवा में बहाल किये जाने के दिनांक के बीच की कालावधि के विनियमन के संबंध में विशेष आदेश के साथ न्यायालय द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश अपास्त किया गया

हो और आगे अपील दाखिल करने का प्रस्ताव न हो, तो पूर्वोक्त कालावधि का विनियमन न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) (एक) जो कर्मचारी पैंतीस वर्ष की आयु पूरी करने से पहले बोर्ड सेवा में प्रवेश किया था और वर्ग-1 या वर्ग-2 के पद पर है, वह पचास वर्ष की आयु पूरी करने के बाद और अन्य सब मामलों में पचपन वर्ष की आयु पूरी करने के बाद या तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद या यदि वह पेंशनी कर्मचारी है, तो पेंशन के लिए अर्हक 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकता है :

परन्तु निम्नलिखित ऐसे किसी कर्मचारी को जो इस खंड के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता है उसे अनुमति प्रदान करने से इन्कार करने का सक्षम प्राधिकारी को अधिकार होगा।

(दो) उपरोक्त खंड (एक) में निर्दिष्ट कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को कारण देते हुए तीन महीने से कम अवधि की सूचना को स्वीकार करने के लिए लिखित निवेदन कर सकता है और ऐसा निवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की सूचनावधि को कम करने के निवेदन पर गुणागुण के आधार पर विचार कर सकता है और यदि उसका समाधान हो जाए कि, सूचनावधि कम करने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी तो, नियुक्ति प्राधिकारी तीन महीने की सूचना देने की अपेक्षा इस शर्त पर शिथिल कर सकता है कि तीन महीने की सूचना अवधि के अवसान से पूर्व कर्मचारी अपनी पेंशन के आंशिक सारोशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा।

(3) जो कर्मचारी इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्ति होने का चयन किया है और सक्षम प्राधिकारी को उस बारे में आवश्यक सूचना दे दिया है, वह प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के सिवाय तत्पश्चात् अपना चयन वापस लेने से प्रवारित किया जायेगा :

परन्तु यह कि, वापस लेने हेतु ऐसा निवेदन सेवानिवृत्ति के आशयित दिनांक से पूर्व किया जाना चाहिए।

टिप्पणी :—

(1) उपरोक्त विनियमों में निर्दिष्ट तीन महीने की सूचना कर्मचारी की विनिर्दिष्ट आयु या यथास्थिति, सेवा पूरी होने से पहले दी जा सकती है, परन्तु कर्मचारी की सुसंगत आयु या, यथास्थिति, सेवा पूरी हो जाने के बाद से ही सेवानिवृत्ति प्रभावी होगी।

(2) उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट तीन महीने की सूचना अवधि संगणित करते समय सूचना तामोल करने का दिनांक और सूचना की अवधि समाप्त होने का दिनांक इसमें से अपर्वाजित किया जायेगा।

(3) जिस कर्मचारी को अधिवर्षिता का विहित आयु पूरी करने के बाद, सेवा के विस्तार की मंजूरी दी गयी है उसे सेवा के विस्तार काल के दौरान दूसरे पद पर पदोन्नति नहीं दी जायेगी।

(4) नियुक्ति के समय कर्मचारी द्वारा घोषित की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई जन्म-तारीख के संदर्भ में यह अवधारित किया जायेगा कि कर्मचारी किस दिनांक को अठ्ठावन वर्ष की आयु पूरी करता है।

(5) जिस कर्मचारी की जन्म तारीख महीने की पहली तारीख हो, वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती महीने के अन्तिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

(6) सेवा में विस्तार या पुनर्नियोजन मंजूर करने का मानदंड और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि परिशिष्ट 1 में बताया गया है और पुनर्नियोजन तथा पुनर्नियोजित व्यक्ति के वेतन के नियतन संबंधी निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसा गया कि संलग्न परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

#### 4. पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी के वेतन का नियतन

(विनियम 31(7))

1. बोर्ड की सेवा में पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी (सिविल या सैनिक) का आरंभिक वेतन निम्न प्रकार विनियमित किया जायगा :—

#### 2. परिभाषाएं

(1) "पेंशन" का तात्पर्य जिन नियमों/विनियमों के अधीन पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवारत था उन्हीं नियमों/विनियमों के अधीन, यदि कोई पेंशन देय है, तो उस सकल मासिक पेंशन से है, जहाँ पेंशन अंशतः या पूर्णतः संराशीकृत है, उस स्थिति में पेंशन का तात्पर्य संराशीकरण के पहले देय सकल पेंशन से है।

(2) "सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन" का तात्पर्य सेवानिवृत्ति के पहले अंतिम प्राप्त अधिष्ठायी वेतन से है तथापि,—

(एक) यदि अधिकारी सेवा निवृत्ति के दिनांक से पहले स्थानापन्न पद पर लगातार न्यूनतम दस मास तक स्थानापन्न रहा है या शर्तों के विहित नियमों के अनुसार नियमित आधार पर पद धारण कर चुका है, तो स्थानापन्न नियुक्ति में प्राप्त किया गया वेतन, सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन का अवधारण करने के हिसाब में लिया जाएगा।

(दो) सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन का अवधारण करने के लिए, प्राप्त किया गया कोई विशेष वेतन केवल उसी दशा में हिसाब में लिया जायेगा यदि ऐसा वेतन सेवा-निवृत्ति के पूर्व न्यूनतम दस मास तक प्राप्त किया गया है। विनियम 31(1) के अधीन एक से अधिक पद का प्रभार धारण करने के संबंध में प्राप्त किया गया वेतन सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन का अवधारण करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

(तीन) सेवानिवृत्ति के पूर्व लगातार कम से कम दस मास तक यदि कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त किया गया है और वह पेंशन के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है, तो प्रतिनियुक्ति भत्ते का वह भाग सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त किया गया अंतिम वेतन के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जायेगा।

(चार) कार्यकाल वाले पद पर प्राप्त किया गया वेतन भी हिसाब में लिया जा सकता है बशर्ते यह वेतन सेवा-निवृत्ति के पूर्व लगातार कम से कम दस मास की अवधि तक प्राप्त किया गया हो।

(पांच) अधिष्ठायी वेतन की हानि के बदले में मंजूर किया गया वैयक्तिक वेतन अथवा छोटे कुटुंब की नीति को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष वेतनवृद्धि के रूप में दिया गया वैयक्तिक वेतन, सेवानिवृत्ति-पूर्व यह वेतन प्राप्त करने की कालावधि पर विचार किये बिना, सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जायेगा, तथापि अन्य किसी प्रकार के वैयक्तिक वेतन को स्थानापन्न वेतन के रूप में ही समझा जायेगा और यह केवल तब ही हिसाब में लिया जायेगा यदि यह वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व कम से कम दस मास की अवधि तक प्राप्त किया गया हो।

(छ) सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ इस परिशिष्ट में निर्दिष्ट दस मास की अवधि में सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम दस महीनों में ली गई सेवा-निवृत्ति-पूर्व तैयारी की छुट्टी और/या अन्यत्र सेवा की अवधि सम्मिलित होगी, यदि सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि अधिकारी ऐसी छुट्टी पर या अन्यत्र सेवा में न गया होता तो उस पद पर स्थानापन्न रहता।

(सात) अधिष्ठायी नियुक्ति में सेवानिवृत्ति-पूर्व तैयारी की छुट्टी के रूप में मानी गई 120 दिन तक की अर्जित छुट्टी या अर्जित छुट्टी के प्रथम 120 दिन के दौरान प्रोद्भूत वेतनवृद्धि सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन का अवधारण करने के लिए हिसाब में ली जायेगी, यदि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी स्थानापन्न हैसियत से कोई पद धारण करता था, तो उस पद के संबंध में वेतनवृद्धि केवल उसी दशा में हिसाब में ली जा सकती है, यदि सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित कर देता है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति-पूर्व तैयारी की छुट्टी पर न गया होता तो वह स्थानापन्न नियुक्ति पर बना रहता। कोई अधिकारी यदि छुट्टी पर न गया होता तो किसी उच्चतर पद पर होने वाली उसकी पदोन्नति हिसाब में नहीं ली जायेगी।

(आठ) यदि कोई कर्मचारी अन्यत्र सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त होता है, तो अन्यत्र सेवा में यदि वह न गया होता उस दशा में मूल विभाग में उसे जो वेतन मिलता वह सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन समझा जायेगा दस मास या उससे अधिक अवधि के लिए यदि कोई प्रोत्सर्ग पदोन्नति है तो वह भी हिसाब में ली जायेगी।

(नौ) यल सेना में जी.ई.जी., एन.सी.ओ. या ओ.आर. ओहदे के और नौसेना या वायुसेना में तत्सम ओहदे के सेवानिवृत्त रक्षा सेवा जवानों के मामले में सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन में (अस्थगित वेतन सहित) रैंक वेतन, सेवा काल के लिए वेतनवृद्धि, सुसेवा/सदाचरण वेतन, वर्गीकरण वेतन का समावेश है।

5. पुनर्नियोजित पद में आरंभिक वेतन नियतन के लिए पेंशन की मात्रा हिसाब में नहीं ली जायेगी।

55 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियोजित हैं ऐसे व्यक्तियों के मामले में आरंभिक वेतन नियतन के लिए पेंशन निम्न सीमा तक हिसाब में नहीं ली जाएगी :—

(एक) रक्षा सेवा में कमिश्नड आफीसर से निम्न ओहदे का पद धारण करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों के मामले में और सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप "ए" पद से निम्न पद धारण करनेवाले सिविलियन के मामले में संपूर्ण पेंशन हिसाब में नहीं ली जाएगी।

(दो) रक्षा सेना के सर्विस आफीसर और सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप "ए" का पद धारण करनेवाले सिविलियन पेंशन-भोगी के मामले में पेंशन का प्रथम रु. 500 हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

6. (1) पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व जो पद धारण करते थे उस पद को लागू वेतनमान पर विचार किये बिना, वे केवल उसी पद के विहित वेतनमान प्राप्त करेंगे जिन पर वे पुनर्नियोजित हुए हैं।

(2) (एक) जहां पेंशन को हिसाब में नहीं लिया गया है उस सूरत में जिस पद पर पुनर्नियोजित किया गया है उस पद के न्यूनतम वेतनमान में पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन नियत किया जाएगा।

(दो) जहां वेतन नियतन के लिए संपूर्ण पेंशन या उसका भाग हिसाब में लिया गया हो, तो उस सूरत में पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन, सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त किए गए अंतिम वेतन के प्रक्रम में नियत किया जाएगा। यदि पुनर्नियोजित पद में ऐसा प्रक्रम नहीं है, तो उस वेतन के ठीक नीचे के प्रक्रम में वेतन नियत किया जाएगा। पेंशन-भोगी जिस वेतनमान में नियुक्त हुआ है उस वेतनमान का अधिकतम यदि सेवानिवृत्ति के पूर्व उसे प्राप्त अंतिम वेतन से कम है, तो पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के अधिकतम पर उसका आरंभिक वेतन नियत किया जाएगा। इसी प्रकार पेंशन-भोगी जिस वेतनमान में नियुक्त हुआ है उस वेतनमान का न्यूनतम यदि सेवानिवृत्ति के पूर्व उसे प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक है, तो पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर उसका आरंभिक वेतन नियत किया जाएगा। तथापि, ऐसे सभी मामलों में इस प्रकार नियत वेतन में से पेंशन की, उतनी मात्रा घटा दी जाएगी जितनी कि वेतन के नियतन के लिए हिसाब में लेनी है।

(तीन) उपर्युक्त 4.2.2 में नियत वेतन के अतिरिक्त पेंशन-भोगी को मंजूर की गई कोई अन्य पेंशन अलग से प्राप्त करने एवं सेवानिवृत्ति का कोई भी लाभ लेने की अनुमति होगी।

(चार) ऊपर बताई गई रीति से पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी का आरंभिक वेतन नियत हो जाने के बाद वह जिस पद पर नियुक्त हुआ है उस पद के कालवेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते वेतन और सकल पेंशन मिलाकर किसी भी समय रु. 8,000 प्रतिमाह से अधिक न हो।

7. प्रतिकर अथवा असक्तता पेंशन या उपदान प्राप्त करने के पश्चात् पुनर्नियोजन :

यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुका है और वह प्रतिकर अथवा असक्तता पेंशन या उपदान प्राप्त किया है या प्राप्त कर रहा है किंतु भविष्य में पेंशन लेने के लिए अपनी गत सेवा की गणना होने के प्रयोजनार्थ अपना उपदान वापस करता है और पेंशन प्राप्त-रखता है, तो उसके संबंध में वेतन नियतन के लिए ऐसा समझा जायेगा मानो कि वह कोई पेंशन प्राप्त नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे वेतनमान में या पद पर पदोन्नति का लाभ उठाने के लिए हकदार होगा और उसका पुनर्नियोजन नियमित लगातार सेवा मानी जायेगी।

8. पदोन्नति/तबादला :

किसी दूसरे पद पर नियमित पदोन्नति या तबादला होने पर, पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी का वेतन, इस विनियमों के अधीन, गत पुनर्नियोजन के पद में, समायोजन के पूर्व, वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जायेगा। इस प्रकार नियत वेतन में से पेंशन संबंधी समायोजन उसी सीमा तक किया जायेगा जैसा कि इसमें ऊपर उपबंधित रहेगा कि वेतन और पेंशन मिलाकर किसी भी समय प्रतिमाह रु. 8,000 से अधिक न हो।

9. छंटनी किया हुआ कर्मचारी :

सेवा से छंटनी किये गये भूतपूर्व सैनिक और सिविलियन जिन्हें पेंशन और/या सेवा का उपदान मंजूर नहीं किया गया है, बोर्ड की सेवा में नियुक्त किये जानेपर, जिस पद पर उन्हें नियोजित किया गया है उस सिविल पद के वेतनमान के न्यूनतम के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन में, गत नियोजन में की गई सेवा के संपूर्ण वर्ष के बराबर उन्हें अग्रिम वेतनवृद्धि मंजूर की जा सकती है, तथापि, इस प्रकार निकाला गया वेतन, उसके द्वारा पहले धारण किये गये सैन्य बल या सिविलियन पद में उठाये गये मूल वेतन से अधिक नहीं होगा।

10. पुनर्नियोजित भूतपूर्व चौक लिपिक और भूतपूर्व पोस्टल भंडारपाल का वेतन नियतन :

योधक लिपिक (सिपाही और उससे ऊपर तथा नौसेना और वायुसेना में तन्मग ग्रीहदा) के रूप में की गई सेवा, सैन्य बल से उसकी नियुक्ति/सेवा-निवृत्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में लिपिक की सेवा के बराबर मानी जा सकती है और लिपिक के पद में उसका आरंभिक वेतन, योधक लिपिक के रूप में की गई सेवा के संपूर्ण वर्ष की संख्या के बराबर कल्पित वेतनवृद्धि देकर बढ़ाई जा सकती है।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

अध्याय—4

11. अगर इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और मंडल केन्द्रीय सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये इस प्रश्न से संबंधित उन अनुदेशों की ध्यान में रखकर व्याख्या करेगा, जो इन विनियमों से असंगत नहीं होंगे।

12. जहाँ अध्यक्ष का ऐसा मत है कि इन विनियमों के लागू होने से किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के किसी वर्ग या किसी विशिष्ट व्यक्ति को कठिनाई होती है तो वह लिखित रूप में आदेश द्वारा कारण दिखाकर इन विनियमों की जरूरतों को उस सीमा तक और उन शर्तों पर शिथिल कर सकते हैं जो न्याय और समानता के आधार पर कठिनाई को मिटाने के लिए जरूरी है। और वह मंडल को सूचित करेंगे।

परिशिष्ट—1

11. सेवा में विस्तार या पुनर्नियोजन की मंजूरी के लिए मानदंड और प्रक्रिया

[विनियमन 3(4)]

1. (1) सेवा में विस्तार या पुनर्नियोजन की मंजूरी और/या आदेश केवल विरल और अपवादिक परिस्थितियों में ही दिया जायेगा और उस पर भी अवैज्ञानिक या गैर-तकनीकी पदों के लिए अधिकतम 60 वर्ष तथा वैज्ञानिक या तकनीकी कामियों के मामले में 62 वर्ष होगी।

(2) प्रत्येक मामले में, सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन की मंजूरी के आदेश में, विस्तार या पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान किसी भी समय बोर्ड या, यथास्थिति, कर्मचारी द्वारा एक महीने की सूचना देकर या बदले में एक महीने का वेतन देकर सेवा समाप्त करने संबंधी उपबंध का खंड होगा।

(3) जिन कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया गया है या पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त किया गया है वे सेवा विस्तार या, यथास्थिति, पुनर्नियोजन की अवधि के अन्त में के दिनांक को सेवानिवृत्त होंगे।

2. सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन की मंजूरी का अध्यारोही विचार यह होगा कि वह स्पष्टतः बोर्ड के हित में हो और इसके अलावा निम्नलिखित दो शर्तों भी अवश्य पूरी होती हों :-

(एक) कि अन्य कोई भी उल्लेख कर्मचारी पद ग्रहण करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है, या

(दो) कि सेवा निवृत्त होने वाला कर्मचारी उत्कृष्ट योग्यता रखता है,

परीक्षण (एक) का समाधान केवल तब ही हो सकेगा यदि अमुक विशेषज्ञता की कमी हो या यदि योग्य उत्तराधिकारी मिलना संभव न हो या यदि कर्मचारी किसी ऐसे विशेष महत्व के कार्य या परियोजना में लगा है जिसके परिणाम एक या दो वर्षों में निकलने वाले हों या यदि ठीक निम्नतर श्रेणी के कर्मचारी इस आधार पर पदोन्नति के पात्र नहीं हैं कि भर्ती नियमों के अधीन विहित निम्नतर श्रेणी पदोन्नति के लिए नहीं है।

3. सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन का विचार इस आधार पर नहीं किया जायेगा कि उस पद के लिए योग्य उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है जब तक कि यह पक्का निश्चय न कर लिया जाए कि पद के लिए उत्तराधिकारी का चयन करने की दिशा में काफी पहले कार्रवाई की जा चुकी है किन्तु न्यायोचित कारणों से समय पर चयन नहीं किया जा सका है।

4. सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन के लिए ऐसा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा जो सिर्फ इस तथ्य पर आधारित हो कि कर्मचारी के पूर्वाधिकारी का सेवा में विस्तार या पुनर्नियोजन मंजूर किया गया था।

5. जब तक कोई कर्मचारी अच्छा निष्ठावान न हो उसके सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. जिस कर्मचारी का सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन किया गया है ऐसे कर्मचारी का सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन की कालावधि में अन्य पद पर पदोन्नति के लिए विस्तार नहीं किया जायेगा।

7. जिस पद पर कोई कर्मचारी अधिवाषिता के समय पदारूढ़ है यदि उसी पद पर कर्मचारी की सेवाएं उसकी सेवानिवृत्ति की आयु के आगे भी आवश्यक हैं, तो ऐसा प्रतिधारण सेवा विस्तार माना जायेगा। जहाँ सेवानिवृत्ति की आयु ने आगे किसी कर्मचारी की सेवाएं भिन्न पद पर आवश्यक हों या, जहाँ बोर्ड के अधीन अन्यत्र सेवा के कर्मचारी की सेवाएं उसकी सेवानिवृत्ति की आयु के आगे उनके मूल विभाग में आवश्यक हों, तो ऐसे प्रतिधारण को पुनर्नियोजन माना जायेगा।

## परिशिष्ट—2

14. पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी के वेतन का नियतन

परिभाषाएं:—

(1) 'पेंशन' का तात्पर्य जिन नियमों/विनियमों के अधीन पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवारत था उन्हीं नियमों/विनियमों के अधीन, यदि कोई पेंशन देय है, तो उस सकल मासिक पेंशन से है। जहां पेंशन अंशतः या पूर्णतः संराशीकृत है, उस स्थिति में पेंशन का तात्पर्य संराशीकरण के पहले देय सकल पेंशन से है।

(2) 'सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन' का तात्पर्य सेवानिवृत्ति के पहले अंतिम प्राप्त अधिष्ठायी वेतन से है, तथापि,—

(एक) यदि अधिकारी सेवानिवृत्ति के दिनांक से पहले स्थानापन्न पद पर लगातार न्यूनतम दस मास तक स्थानापन्न रहा है या भर्ती के विहित नियमों के अनुसार नियमित आधार पर पद धारण कर चुका है, तो स्थानापन्न नियुक्ति में प्राप्त किया गया वेतन, सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जायेगा।

(दो) सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन का अवधारण करने के लिए, प्राप्त किया गया कोई विशेष वेतन केवल उसी दशा में हिसाब में लिया जायेगा यदि ऐसा वेतन सेवा-निवृत्ति के पूर्व न्यूनतम दस मास तक प्राप्त किया गया है। विनियम 31(1) के अधीन एक से अधिक पद का प्रभार धारण करने के संबंध में जिसे विशेष वेतन देय है किया गया वेतन सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन का अवधारण करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

(तीन) सेवानिवृत्ति के पूर्व लगातार कम से कम दस मास तक यदि कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त किया गया है और वह पेंशन के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है, तो प्रतिनियुक्ति भत्ते का वह भाग सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त किये गये अंतिम वेतन के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जायेगा।

(चार) कार्यकाल वाले पद पर प्राप्त किया गया वेतन भी हिसाब में किया जा सकता है बशते यह वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व लगातार कम से कम दस मास की अवधि तक प्राप्त किया गया है।

(पांच) अधिष्ठायी वेतन की हानि के बदले में मंजूर किया गया वैयक्तिक वेतन अथवा छोटे कुटुंब की नीति को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष वेतनवृद्धि के रूप में दिया गया वैयक्तिक वेतन, सेवानिवृत्ति-पूर्व यह वेतन प्राप्त करने की कालावधि पर विचार किये बिना, सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन के अवधारण के लिए हिसाब में लिया जायेगा। तथापि, अन्य किसी प्रकार के वैयक्तिक वेतन की स्थानापन्न वेतन के रूप में ही समझा जायेगा और यह केवल तब ही हिसाब में लिया जायेगा यदि यह वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व कम से कम दस मास की अवधि तक प्राप्त किया गया हो।

(छ:) सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ इस परिशिष्ट में निरादष्ट दस मास की अवधि में सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम दस महीनों में की गई सेवानिवृत्ति पूर्व तैयारी की छुट्टी और/या अन्यत्र सेवा की अवधि सम्मिलित होगी, यदि सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि अधिकारी ऐसी छुट्टी पर या अन्यत्र सेवा में न गया होता तो उस पद पर स्थानापन्न रहता।

(सात) अधिष्ठायी नियुक्ति में सेवानिवृत्ति-पूर्व तैयारी की छुट्टी के रूप में मानी गई 120 दिन तक की अर्जित छुट्टी के प्रथम 120 दिन के दौरान प्रोदभूत वेतनवृद्धि सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन का अवधारण करने के लिए हिसाब में ली जायेगी, यदि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी स्थानापन्न हैसियत से कोई पद धारण करता था, तो उस पद के संबंध में वेतनवृद्धि केवल उसी दशा में हिसाब में ली जा सकती है, यदि सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित कर देता है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति-पूर्व तैयारी की छुट्टी पर गया होता तो वह स्थानापन्न नियुक्ति पर बना रहता। कोई अधिकारी यदि छुट्टी पर न गया होता तो किसी उच्चतर पद पर होने वाली उसकी पदोन्नति हिसाब में नहीं ली जायेगी।

(आठ) यदि कोई कर्मचारी अन्यत्र सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्ति होता है, तो अन्यत्र सेवा में यदि वह न गया होता उस दशा में मूल विभाग में उसे जो वेतन मिलता वह सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन समक्षा जायेगा। दस मास या उससे अधिक अवधि के लिए यदि कोई प्रोफार्मा पदोन्नति है तो वह भी हिसाब में ली जायेगी।

(नौ) थल सेना में जी.ई.जी., एन.सी.ओ. या ओ.आर.ओ.हदे के और नौसेना या वायुसेना में तत्सम ओहदे के सेवानिवृत्त रक्षा सेवा जवामों के मामले में सेवानिवृत्ति-पूर्व वेतन में (आस्थगित वेतन सहित) बैंक वेतन, सेवा काल के लिए वेतनवृद्धि, सुसेवा/सदाचरण वेतन, वर्गीकरण वेतन का समावेश है।

3. पुनर्नियोजित पद में आरंभिक वेतन नियतन के लिए पेंशन की मात्रा हिसाब में नहीं ली जायेगी।

55 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियोजित हैं ऐसे व्यक्तियों के मामले में आरंभिक वेतन नियतन के लिए पेंशन निम्न सीमा तक हिसाब में नहीं ली जायेगी—

(एक) रक्षा सेवा में कमिश्नड आफीसर से निम्न ओहदे का पद धारण करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के मामले में और सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप "ए" पद से निम्न पद धारण करने वाले सिविलियन के मामले में संपूर्ण पेंशन हिसाब में नहीं ली जायेगी।

(दो) रक्षा सेना के सांक्स आफीसर और सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप "ए" का पद धारण करने वाले सिविलियन पेंशन-भोगी के मामले में पेंशन का प्रथम रु. 500/- हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

4(1) पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व जो पद धारण करते थे उस पद को लागू वेतनमान पर विचार किये बिना, वे केवल उसी पद के विहित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे जिन पर वे पुनर्नियोजित हुए हैं।

(2) (एक) जहां पेंशन को हिसाब में नहीं लिया गया है उस सूरत में जिस पद पर पुनर्नियोजित किया गया है उस पद के न्यूनतम वेतनमान में पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन नियत किया जायेगा।

(दो) जहां वेतन नियतन के लिए संपूर्ण पेंशन या उसका भाग हिसाब में लिया गया हो, तो इस सूरत में पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन, सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त किये गये उसके वेतन के प्रक्रम में नियत किया जायेगा। यदि पुनर्नियोजित पद में ऐसा प्रक्रम नहीं है, तो उस वेतन के ठीक नीचे के प्रक्रम में वेतन नियत किया जायेगा, पेंशन-भोगी जिस वेतनमान में नियुक्ति हुआ है उस वेतनमान का अधिकतम यदि सेवानिवृत्ति के पूर्व उसे प्राप्त अंतिम वेतन से कम है, तो पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के अधिकतम पर उसका आरंभिक वेतन नियत किया जायेगा। इसी प्रकार पेंशन-भोगी जिस वेतनमान में नियुक्त हुआ है उस वेतनमान का न्यूनतम यदि सेवानिवृत्ति के पूर्व उसे प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक है, तो पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर उसका आरंभिक वेतन नियत किया जायेगा। तथापि, ऐसे सभी मामलों में इस प्रकार नियत वेतन में से पेंशन की उतनी मात्रा घटा दी जायेगी जितनी कि वेतन के नियतन के लिए हिसाब में लेनी है।

(तीन) इस विनियम के उपयुक्त 4. 2. 2 में नियत वेतन के अतिरिक्त, पेंशन-भोगी को मंजूर की गई कोई अन्य पेंशन अलग से प्राप्त करने एवं सेवानिवृत्ति का कोई भी लाभ लेने की अनुमति होगी।

(चार) ऊपर बताई गई रीति से पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी का आरंभिक वेतन नियत हो जाने के बाद वह जिस पद पर नियुक्त हुआ है उस पद के काल-वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते वेतन और सकल पेंशन मिल कर किसी भी समय रु. 8,000/- प्रतिमाह से अधिक न हो।

5. प्रतिकर अथवा असक्तता पेंशन या उपदान प्राप्त करने के पश्चात् पुनर्नियोजन :

यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुका है और वह प्रतिकर अथवा असक्तता पेंशन या उपदान प्राप्त किया है या प्राप्त कर रहा है किन्तु भविष्य में पेंशन लेने के लिए अपनी गत सेवा की गणना होने के प्रयोजनार्थ अपना उपदान वापस करना है और पेंशन प्रास्थपित रखता है, तो उसके संबंध में वेतन नियतन के लिए ऐसा समझा जायेगा मानों कि वह कोई पेंशन प्राप्त नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे वेतनमान

में या पद पर पदोन्नति का लाभ उठाने के लिए हकदार होगा और उसका पुनर्नियोजन नियमित लगातार सेवा मानी जायेगी।

6. पदोन्नति/तबादला :

किसी दूसरे पद पर नियमित पदोन्नति या तबादला होने पर, पुनर्नियोजित पेंशन-भोगी का वेतन, इन विनियमों के अधीन, गत पुनर्नियोजन के पक्ष में, समायोजन के पूर्व, वेतन के सन्दर्भ में नियत किया जायेगा। इस पर नियत वेतन में से पेंशन संबंधी समायोजन उसी सीमा तक किया जायेगा जैसा कि इसमें ऊपर उपबंधित रहेगा कि वेतन और पेंशन मिलाकर किसी भी समय प्रतिमाह रु. 8,000/- से अधिक न हो।

7. छंटनी किया हुआ कर्मचारी :

सेवा से छंटनी किये गये भूतपूर्व सैनिक और सिविलियन जिन्हें पेंशन और/या सेवा का उपदान मंजूर नहीं किया गया है, बोर्ड की सेवा में नियुक्त किये जाने पर, जिस पद पर उन्हें नियोजित किया गया है उस सिविल पद के वेतनमान के न्यूनतम के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन में, गत नियोजन में की गई सेवा के संपूर्ण वर्ष के बराबर उन्हें अग्रिम वेतनवृद्धि मंजूर की जा सकती है, तथापि, इस प्रकार निकाला गया वेतन, उसके द्वारा पहले धारण किये गये सैन्य-बल या सिविलियन पद में उठाये गये मूल वेतन से अधिक नहीं होगा।

8. पुनर्नियोजित भूतपूर्व योधक लिपिक और भूतपूर्व योधक भंडारपाल का वेतन नियतन :

योधक लिपिक (सिपाही और उससे ऊपर तथा नौसेना और वायुसेना में तत्सम ओहदा) के रूप में की सेवा, सैन्य बल से उसकी नियुक्ति/सेवा-निवृत्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में लिपिक की सेवा के बराबर मानी जा सकती है और लिपिक के पद में उसका आरंभिक वेतन, योधक लिपिक के रूप में की गई सेवा के संपूर्ण वर्ष की संख्या के बराबर कल्पित वेतनवृद्धि देकर बढ़ाई जा सकती है।

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 1995

G.S.R. 550(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawarharlal Nehru Port Trust Employees' (Retirement) Regulations, 1995 made by the Board of Trustees for the port of Jawarharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this notification.



2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[NP. PR-12016/42/93-PE.I]  
C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST  
EMPLOYEES

(RETIREMENT)

REGULATIONS 1995

CHAPTER : I

INTRODUCTION

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the 'Major Port Trusts Act 1963' (38 of 1963), the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations, namely :—

SHORT TITLE AND APPLICATION :

1. These regulations shall be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Retirement) Regulations, 1995 and they shall be applicable to all employees from such date as the Central Government shall notify in that behalf in the Gazette of India.

CHAPTER II

DEFINITIONS :

2. In these regulations, unless there is anything repugnant in the context or subject :—

- (1) 'ACT' means the 'MAJOR PORT TRUSTS ACT-1963' and statutory amendments thereto.
- (2) 'Board', 'Chairman', 'Deputy Chairman' and 'Heads of Departments' shall have the same meaning as respectively assigned to them in the ACT.
- (3) 'COMPETENT AUTHORITY' means the appointing authority as defined in the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, or such other authority subordinate to the Competent Authority to which a power has been delegated by the Board.
- (4) 'EMPLOYEE' means any person appointed to a post on a fixed pay or a time-scale of pay borne on the Schedule or approved to be borne on the Schedule.
- (5) 'FOREIGN SERVICE' means service, in which an employee receives pay with the sanction of the competent authority from any source other than the General Account of the Port or the Pilotage Account of the Port.

- (6) 'GOVERNMENT' means the Government of India.
- (7) 'LEAVE SALARY' shall have the same meaning as defined in the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees Leave Regulations.
- (8) 'LIEN' means the right of an employee to hold substantively either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a permanent post, to which he has been appointed substantively.

Explanation :

An employee shall be confirmed in a permanent post only once in the service of the Board. Confirmation will be made after completion of the probation to the satisfaction of the Competent Authority on a permanent post held by the employee after entry to the service of the Board Regular appointment to any other permanent post in the service of the Board after confirmation on a permanent post will entitle the employee to hold lien on that other permanent post.

- (9) "OFFICIATE" : An employee 'Officiates' in a post when he performs the duties of a post on which another person holds a lien. The Competent Authority may, if it thinks fit, appoint an employee to officiate in a vacant post on which no other employee holds a lien.
- (10) "PAY" means the amount drawn monthly by an employee as —
  - (i) The pay, (other than special pay or pay granted in view of his personal qualifications), which has been sanctioned for a post held by him subsequently or in an officiating capacity or to which he is entitled by reason of his position in the service to the Board and includes pay drawn in a temporary post.
  - (ii) Special pay, personal pay and
  - (iii) any other emoluments which may be classed as pay by the Board with the prior approval of the Government.
- (11) "PERMANENT POST" means a post sanctioned without limit of time and carrying a fixed pay or time scale of pay borne on the Schedule or approved to be borne on the Schedule.

CHAPTER . III

RETIREMENT

3. RETIREMENT :

- (1) Except as otherwise provided in these regulations, every employee shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty eight years.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Competent Authority shall, if he is of the opinion that, it is in the interest of the Board so to do, have the absolute right to retire any employee by giving him notice of not less than three months in writing or three month's pay and allowances in lieu of such notice ;

(i) if he is in Class I or Class II post and had entered Board service before attaining the age of 35 years, after he has attained the age of 50 years.

(ii) in any other case after he has attained the age of fifty five years or

(iii) after he has completed 30 years of qualifying service if pensionable employee.

Provided that, if it is decided in the interest of the Board to retire an employee, who previously held a class III post in a substantive capacity, but now holding a Class I or Class II post in an officiating capacity then subject to the provision of the clause (ii) above, he shall be allowed at his request in writing to continue in service in the Class III post which he held in a substantive capacity.

(3) (1) If on a review of the case either on a representation from the employee retired prematurely or otherwise, it is decided by the authority higher than the Competent Authority to reinstate the employee in service, that an authority while ordering reinstatement may regulate the intervening period between the date of premature retirement and the date of reinstatement as a period spent on duty or not on duty or by the grant of leave of the kind due and admissible, including extraordinary leave, depending upon the facts and circumstances of the case :

Provided that, the intervening period shall be treated as a period spent on duty for all purposes including pay and allowances, if it is specifically held by that authority that the premature retirement was itself not justified in the circumstances of the case, or if the order of premature retirement is set aside by a Court of Law.

(ii) Where the order of premature retirement is set aside by a Court of Law with specific direction in regard to regulation of the period between the date of premature retirement and the date of reinstatement and no further appeal is proposed to be filed, the aforesaid period shall be regulated in accordance with directions of the Court.

(4) (i) An employee may by giving notice of not less than three months in writing to the Competent Authority, retire from service after he has attained the age of fifty years if he is in a Class I or Class II post and had entered Board's service before attaining the age of thirty five years and in all other cases after he has attained the age of fifty five years or after he has completed 20 years of qualifying service or if he is a pensionable employee.

Provided that, it shall be open to the Competent Authority to withhold permission to an employee who

is under suspension and seeks to retire under this clause.

(ii) An employee referred to in clause (i) above may make a request in writing to the Competent Authority to accept notice of less than three months giving reasons therefore, and on receipt of such a request the Competent Authority may consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that, the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the employee shall not apply for communication of a part of his pension before the expiry of the period of notice of three months.

(iii) An employee, who has elected to retire under this regulation and has given the necessary intimation to effect to the competent authority, shall be precluded from withdrawing his selection subsequently except with the specific approval of such authority ;

Provided however that, such request for withdrawal must be made before the intended date of his retirement.

#### NOTE :

(1) The three months' notice referred to in the above regulations may be given before the employee attains the specified age or service as the case may be provided that the retirement takes place after the employee has attained the relevant age or service as the case may be.

(2) In computing the notice period of three months referred to in sub-regulation (2) date of service of the notice and the date of its expiry shall be excluded.

(3) An employee, who is granted extension of service, after he has attained the prescribed age of superannuation shall not be promoted to another post during the period of extension.

(4) The date on which an employee attains the age of fifty-eight years shall be determined with reference to the date of birth declared by the employee at the time of appointment and accepted by the competent authority.

(5) An employee whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(6) The criteria and procedure for grant of extension in service or re-employment shall be as set forth in Appendix-1 and the terms and conditions of re-employment and the fixation of pay of re-employed persons shall be as specified in Appendix-2 hereto.

#### 4. Fixation of pay of re-employed Pensioners :

(1) 'Pension' means the gross monthly pension, if any, payable under the Rules/Regulations under which the re-employed pensioner was serving prior to his retirement. Where pension has been commuted partly or fully, pension means the gross pension payable prior to commutation.

(2) 'Pre-retirement Pay' means the substantive pay last drawn before retirement. However—

- (i) Pay drawn in an officiating appointment may be taken into account for determining the pre-retirement pay if the officer had officiated continuously for a minimum of ten months in the officiating post prior to the date of retirement or held the post on a regular basis in accordance with the prescribed recruitment rules.
- (ii) Special pay drawn shall be taken into account for determining the pre-retirement pay only if it has been drawn for a minimum of ten months prior to retirement. Pay drawn for holding more than one charge will not be taken into account in determining pre-retirement pay.
- (iii) Such portion of deputation allowance, if the same was drawn continuously for a minimum period of ten months prior to retirement, and as has been taken into account for pension purposes, shall also be taken into account for determining the last pay drawn before retirement.
- (iv) The pay drawn in a tenure post pay also be taken into account provided that it was drawn continuously for a minimum period of ten months prior to retirement.
- (v) Personal pay granted for loss of substantive pay or allowed as a special increment for promoting small family norms shall be taken into account for determining pre-retirement pay irrespective of the duration for which it was drawn prior to retirement. Any other type of personal pay shall, however, be accorded the same treatment as officiating pay and shall be taken into account only if the same had been drawn for a minimum period of ten months prior to retirement.
- (vi) The period of ten months referred to in this appendix shall include the period of leave preparatory to retirement and/or foreign service during the last ten months prior to retirement for the purpose of determining pre-retirement pay, if it is certified by the Competent Authority that the officer would have officiated in the post but for his being on such leave or foreign service.
- (vii) An increment accruing in the substantive appointment during earned leave upto 120 days or the first 120 days of earned leave which is treated as leave preparatory to retirement shall be taken into account for determining the pre-retirement pay. If the employee was holding at the time of retirement, a post in an officiating capacity, the increment in respect of that post may be taken into account only if the Competent Authority certifies that the employee would have held the officiating appointment but for his

proceeding on leave preparatory to retirement. Promotion to any higher post which the officer would have got but for going on leave will not be taken into account.

- (viii) If an employee retires while on foreign service his pay that he would have drawn in his parent department but for going on foreign service shall be taken as pre-retirement pay. Proforma promotion if any for a period of ten months or more shall also be taken into account.
- (ix) In the case of retired Defence Services Personnel, of the rank of JEG, NCO or in the Army and corresponding ranks in the Navy or Air Force pre-retirement pay shall consist of pay (including Deferred pay, rank pay, increments of pay for length of service, Good Service/Conduct Pay, Classification pay).

5. Quantum of Pension not to be taken into Account for Initial Fixation of pay in the re-employed post :

In the case of persons retiring before attaining the age of 55 years and who are re-employed, pension shall not be taken into account for initial pay fixation to the following extent.—

- (i) In the case of ex-servicemen who held posts below commissioned Officer rank in the Defence Forces and in the case of civilians who held posts below Group 'A' posts at the time of their retirement, the entire pension will not be taken into account.
- (ii) In the case of Service Officer belonging to defence force and civilian pensioners who held Group 'A' posts at the time of their retirement, the first Rs. 500/- of the pension shall not be taken into account.

6. Fixation of Pay :

- (i) Re-employed pensioners shall be allowed to draw pay only in the prescribed scales of pay for the posts in which they are re-employed, without any reference to the scales of pay of the posts held by them prior to their retirement.
- (ii) Where the pension is not taken into account, the initial pay on re-employment shall be fixed at the minimum of the scale of pay of the re-employed post.
- (iii) Where the whole or a part of pension is taken into account for pay fixation, the initial pay on re-employment shall be fixed at the same stage as the last pay drawn before retirement. If there is no such stage in the re-employed post, the pay shall be fixed at the stage next below that pay. If the maximum of the pay scale in which a pensioner is re-employed is less than the last pay drawn by him before retirement, his initial pay shall be fixed at the maximum of the scale of pay of the re-employed

post. Similarly, if the minimum of the scale of pay in which a pensioner is re-employed is more than the last pay drawn by him before retirement his initial pay shall be fixed at the minimum of the scale of pay of the re-employed post. However, in all such cases, the pay so fixed, shall be reduced by the quantum of the pension which is to be taken into account for fixation of pay.

- (iv) The re-employed pensioner will in addition to the pay as fixed above shall be permitted to draw separately any pension sanctioned to him and to retain any other form of retirement benefits.
- (v) (One) the initial pay of a re-employed pensioner has been fixed in the manner indicated above he shall be entitled to normal increments in the time-scale of the post to which, he is appointed, provided that, the pay and gross pension does not at any time exceed Rs. 8,000/- per month.

#### 7. Re-employment after receiving compensation or invalid Pension or Gratuity :

If a person who has retired and received or receives compensation or invalid pension or gratuity but elects to refund his gratuity and keeps his pension in abeyance for the purpose of counting his past service for earning future pension he shall be treated as if he is not in receipt of any pension for the purpose of fixation of pay. Such a person will also be entitled to the benefits of promotion to another scale or post and the re-employment shall be treated as regular continuous service.

#### 8. Promotion|transfer :

On regular promotion or transfer to another post, pay of the re-employed pensioner shall be fixed under these regulations with reference to the pay in the previous re-employment post, before adjustments. From the pay so fixed, adjustments on account of pension shall be made to the same extent as provided here in above. This will, however, remain subject to the condition that the pay PLUS pension shall not at any time exceed Rs. 8,000/- per month.

#### 9. Retrenched Employees :

In the case of ex-servicemen as well as civilians who are retrenched from service and are not granted pension and/or service gratuity, on their appointment in the Boards service, they may be granted advance increments equal to the completed years of service rendered by them in the previous employment in the basic pay equal to or higher than the minimum of the scales attached to the civil post in which they are employed. The pay so arrived at should not, however, exceed the basic pay drawn by them in the armed forces or the civilians post previously held as the case may be.

#### 10. Fixation of pay of re-employed ex-combatant clerks and ex-combatant store-keepers :

The service rendered as a combatant clerk (sepooy and above and equivalent ranks in Navy and Air Force may be treated as equivalent of service as Clerks in

JNPT after their release|retirement from the Armed Forces and their initial pay in the posts of clerks may be increased by giving notional increments equivalent to the number of completed years of service as combatant Clerk.

### CHAPTER IV

#### Interpretation :

11. If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Board.

### APPENDIX-I

#### CRITERIA FOR EXTENSION|RE-EMPLOYMENT

##### Note Regulation 3(4).

1. No proposal for extension of service|re-employment beyond the age of superannuation should ordinarily be considered.

2.1 Extension of service|re-employment can be justified only in very rare and exceptional circumstances. Even in such cases, 60 years of age should be the dead-line for non-scientific|non-technical posts and 62 years in the case of scientific|technical personnel. This should not be construed to mean that extensions of service|re-employment can be granted to non-scientific|non-technical personnel upto the age of 60 years and to scientific|technical personnel upto the age of 62 years more or less as a matter of course.

2.2 In every case the order granting an extension of service|re-employment shall include a clause providing for termination of service by one month's notice or one month's pay in lieu thereof on both sides at any time within the period of extension|re-employment to suit the situation that may arise where grant of extension of service|re-employment beyond the age of superannuation for a specific period might have to be cancelled or modified at a later date for administrative reasons.

2.3 The employees who were granted extension of service or appointed on re-employment basis shall retire on the date of expiry of the extension of service|re-employment period.

3. The over-riding consideration for the grant of extension of service|re-employment is that it must be clearly in the Board's interest and in addition satisfy one of the following two conditions :—

- (i) That other officers are not ripe enough to take over the job; or
- (ii) that the retiring officer is of outstanding merit.

4. No extension of service|re-employment should be considered on the ground that a suitable successor is not available, unless it is established that action to select a successor had been taken well in advance, but the selection could not be finalised in time for justifiable reasons.

5. A proposal for the grant of extension of service|re-employment based merely on the consideration that the Officer's predecessor had been given extension|re-employment should obviously not be accepted.

## APPENDIX—2

## FIXATION OF PAY OF RE-EMPLOYED PENSIONERS

[Note 6 under Regulation 3(4)]

1. The initial pay of pensioners (civil) or (Military) re-employed in the Board's service shall be regulated as follows :—

## 2. Definitions :

(1) 'Pension' means the gross monthly pension, if any, payable under the Rules/Regulations under which the re-employed pensioner was serving prior to his retirement. Where pension has been commuted partly or fully, pension means the gross pension payable prior to commutation.

(2) 'Pre-retirement pay' means the substantive pay last drawn before retirement. However —

- (i) Pay drawn in an officiating appointment may be taken into account for determining the pre-retirement pay if the officer had officiated continuously or a minimum of ten months in the officiating post prior to the date of retirement or held the post on a regular basis in accordance with the prescribed recruitment rules.
- (ii) Special pay drawn shall be taken into account for determining the pre-retirement pay only if it has been drawn for a minimum of ten months prior to retirement. Pay drawn for holding more than one charge on which special pays are admissible will not be taken into account in determining pre-retirement pay.
- (iii) Such portion of deputation allowance, if the same was drawn continuously for minimum period of ten months prior to retirement, and as has been taken into account, for pension purposes, shall also be taken into account for determining the last pay drawn before retirement.
- (iv) The pay drawn in a tenure post may also be taken into account provided that it was drawn continuously for a minimum period of ten months prior to retirement.
- (v) Personal pay granted for loss of substantive pay irrespective of the duration for which promoting small family norms shall be taken into account for determining pre-retirement pay irrespective of the duration for which it was drawn prior to retirement. Any other type of personal pay shall, however, be accorded the same treatment as officiating pay and shall be taken into account only if the same had been drawn for a minimum period of ten months prior to retirement.
- (vi) The period of ten months referred to in this appendix shall include the period of leave preparatory to retirement and/or foreign service during the last ten months, prior to retirement for the purpose of determining

pre-retirement pay, if it is certified by the competent authority that the officer would have officiated in the post but for his being on such leave or foreign service.

- (vii) An increment accruing in the substantive appointment during earned leave upto 120 days or the first 120 days of earned leave which is treated as leave preparatory to retirement shall be taken into account for determining the pre-retirement pay. If the employee was holding at the time of retirement a post in an officiating capacity, the increment in respect of that post may be taken into account only if the competent authority certifies that the employee would have held the officiating appointment but for his proceeding on leave preparatory to retirement. Promotion to any higher post which the officer would have got but for going on leave will not be taken into account.
- (viii) If an employee retires while on foreign service his pay that he would have drawn in his parent department but for going on foreign service shall be taken as pre-retirement pay. Proforma Promotion if any for a period of ten months or more shall also be taken into account.
- (ix) In the case of retired Defence Services Personnel of the rank of JEG, NCO, or in the Army and corresponding ranks in the Navy or Air Force pre-retirement pay shall consist of pay (including Deferred pay, rank pay, increments of pay for length of service, Good Service/Conduct pay, Classification Pay).

## 3. Quantum of pension not to be taken into account for initial fixation of pay in the re-employed post.

In the case of persons retiring before attaining the age of 55 years and who are re-employed, pension shall not be taken into account for initial pay fixation to the following extent :

- (i) In the case of ex-servicemen who held posts below commissioned officer rank in the Defence Forces and in the case of civilians who held posts below Group 'A' posts at the time of their retirement, the entire pension will not be taken into account.
- (ii) In the case of service officer belonging to defence force and civilian pensioners who held Group 'A' posts at the time of their retirement, the first Rs. 500/- of the pension shall not be taken into account.

4. (1) Re-employed pensioners shall be allowed to draw pay only in the prescribed scales of pay for the posts in which they are re-employed, without any reference to the scales of pay of the posts held by them prior to their retirement.

(2) (i) Where the pension is not taken into account, the initial pay on re-employment shall be fixed at

the minimum of the scale of pay of the re-employed post.

(ii) Where the whole or a part of pension is taken into account for pay fixation, the initial pay on re-employment shall be fixed at the same stage as the last pay drawn before retirement. If there is no such stage in the re-employed post, the pay shall be fixed at the stage next below that pay. If the maximum of the pay scale in which a pensioner is re-employed is less than the last pay drawn by him before retirement, his initial pay shall be fixed at the maximum of the scale of pay of the re-employed post. Similarly, if the minimum of the scale of pay in which a pensioner is re-employed is more than the last pay drawn by him before retirement his initial pay shall be fixed at the minimum of the scale of pay of the re-employed post. However, in all such cases, the pay so fixed, shall be reduced by the quantum, of the pension which is to be taken into account for fixation of pay.

(iii) The re-employed pensioner will in addition to the pay as fixed under this regulation para 4.2 (ii) above shall be permitted to draw separately any pension sanctioned to him and to retain any other form of retirement benefits.

(iv) Once the initial pay of re-employed pensioner has been fixed in the manner indicated above, he shall be entitled to normal increments in the time-scale of the post to which he is appointed, provided that the pay and gross pension does not at any time exceed Rs. 8,000/- per month.

5. Re-employment after receiving compensation or invalid pension or gratuity :

If a person who has retired and received or receives compensation or invalid pension or gratuity but elects to refund his gratuity and keeps his pension in abeyance for the purpose of counting his past service for earning a future pension he shall be treated as if he is not in receipt of any pension for the purpose of

fixation of pay. Such a person will also be entitled to the benefits of promotion to another scale or post and the re-employment shall be treated as regular continuous service.

6. Promotion|Transfer :

On regular promotion or transfer to another post, pay of the re-employed pensioner shall be fixed under these regulations with reference to the pay in the previous re-employment post, before adjustments. From the pay so fixed, adjustments on account of pension and retirement benefits shall be made to the same extent as provided herein above. This will, however, remain subject to the condition that the pay PLUS pension and pension retirement benefits shall not at any time exceed Rs. 8,000/- per month.

7. Retrenched Employees :

In the case of ex-servicemen as well as civilians who are retrenched from service and are not granted pension and nor service gratuity on their appointment in the Boards service, they may be granted advance increments equal to the completed years of service rendered by them in the previous employment in the basic pay equal to or higher than the minimum of the scale attached to the civil post in which they are re-employed. It should not however, exceed the basic pay drawn by them in the armed forces or the civilian post previously held as the case may be.

8. Fixation of pay of re-employed ex-combatant clerks. and ex-combatant store-keepers :

The service rendered as a combatant clerk (sepoy and above and equivalent ranks in Navy and Air Force) may be treated as equivalent of service as Clerks in JNPT after their release|retirement from the Armed Forces and their initial pay in the post of Clerks may be increased by giving notional increments equivalent to the number of completed years of service as combatant clerks.